


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 398 / 2008.....जिला.....अलवर.....

उनवान- मैसर्स तरुण कार्स्टिंग प्रा०लि०, भिवाडी बनाम 1. उपायुक्त (अपील्स), भरतपुर 2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त भिवाडी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदन लाल मालवीय-सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जे:एन.शर्मा द्वारा विदज्ञावल बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम, 2017 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस अपील को विदज्ञा करने का निवेदन किया है, जिस पर उप-राजकीय अभिभाषक आर.के.अजमेरा को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 398 / 2008 / अलवर जरिये विदज्ञाल खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया</p> <p style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	